

मूल वाद में डिफ्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

कैलाश कुमार पुत्र मांगेराम

उनवान

बनाम

मांगेराम पुत्र हैतराम

जाति जाट निवासी भरवाना

जाति जाट निवासी भरवाना

दावा बाबत :- 88RT Act

मुकदमा नम्बर :- 173/2021

निर्णय दिनांक :- 04/12/2021

वादी की ओर से वकील सतवीर प्रनिया की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील मांगेराम हुड्डा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मौला चक 8 DPN के खाता संख्या 66/59, 67 सम्बत 2076-79 के सु.न. 17 के किला न. 15/2, 16, 25 सु.न. 27 के किला न. 1, 10, 11 सु.न. 28 के किला न. 1 ता 10, 12 ता 15 सु.न. 29 के किला न. 5 इस प्रकार कुल किला 21 की कुल 5.1480 हेक्टर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी मांगेराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी कैलाश कुमार व प्रतिवादी मांगेराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज ही तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल करामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 04/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़